भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 732

उत्तर देने की तारीख 21.07.2022

केवीआईसी द्वारा रोजगार सृजन

732. श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री संजय जाधवः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप रोजगार सृजित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से महाराष्ट्र में परभणी संसदीय क्षेत्र के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले कारीगरों की संख्या का कोई रिकॉर्ड है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कारीगरों की संख्या कितनी है जिन्हें दोबारा काम मिला है;

(ङ) क्या बीपीएल कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केवीआईसी द्वारा कोई योजना लागू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रोजगार में वृद्धि के लिए केवीआईसी द्वारा क्या पहल की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) जी हां। एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा ग्रामीण कारीगरों के लिए रोजगार के अवसरों को सृजित करते हुए खादी और ग्रामोद्योग, जो केवीआई उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में शामिल हैं, को बढ़ावा देता है और सहायता करता है।

31.03.2022 तक खादी और ग्रामोद्योगों द्वारा सृजित संचयी रोजगार नीचे दिया गया है:

वर्ष	**संचयी रोजगार** (लाख व्यक्तियों में)		
	खादी	**ग्रामोद्योग**	**केवीआई**
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम)	4.97	162.63	167.6 0

(ख) 31.3.2022 तक महाराष्ट्र राज्य में खादी और ग्रामोद्योगों द्वारा सृजित संचयी रोजगार नीचे दिया गया है:

वर्ष	**महाराष्ट्र राज्य में संचयी रोजगार** (लाख व्यक्तियों में)		
	खादी	**ग्रामोद्योग**	**केवीआई**
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम)	0.03	11.65	11.68

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय, केवीआईसी के माध्यम से महाराष्ट्र के परभणी जिले सहित देश में **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** को लागू कर रहा है, जो एक प्रमुख ऋण-संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार के अवसरों को सृजित करना है। बैंक ऋण प्रदान करते हैं और केवीआईसी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सब्सिडी (**जिसे मार्जिन मनी सब्सिडी भी कहा जाता है**) प्रदान की जाती है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थी जैसे कि एससी/एसटी/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाएं/अल्पसंख्यक/ट्रांसजेंडर/ आदि के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। लाभार्थी अंशदान 10% (सामान्य श्रेणी) और 5% (विशेष श्रेणी) है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रू. और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रू. है।

विगत तीन वर्षों के दौरान परभणी जिले में पीएमईजीपी स्कीम का कार्यनिष्पादन निम्नवत है:

वर्ष	**परियोजना** (संख्या में)	**जारी मार्जिन मनी** (रु. लाख में)	**रोज़गार** (संख्या में)
2019-20	87	119.95	696
2020-21	41	66.42	328
2021-22	73	88.18	584

(ग) और (घ) पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित इकाइयों सहित एमएसएमई पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए केवीआईसी द्वारा संचालित अध्ययन के निष्कर्षों को **अनुबंध-I में** दिया गया है।

(ङ) केवीआईसी बीपीएल कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता की किसी विशिष्ट स्कीम का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है। तथापि, बीपीएल कारीगर जो अपना स्वयं का अंशदान देने में सक्षम नहीं है, उन्हें ग्राम उद्योग विकास योजना के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे हनी मिशन, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम, अगरबत्ती पर प्रायोगिक परियोजना आदि के अंतर्गत प्रशिक्षण तथा टूल और उपकरण प्रदान किए जाते हैं

(च) केवीआईसी ने देश में ग्रामीण परंपरागत उद्योगों के संवर्धन, विकास और सुदृढ़ीकरण तथा रोजगार सृजन के लिए कई पहलें की है।

इसके अतिरिक्त, केवीआईसी, परंपरागत उद्योगों में स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए बेरोजगार युवाओं हेतु देश में अपने प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य संवर्धनात्मक स्कीमों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) और उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) संचालित करता है। केवीआईसी की पहलों के ब्यौरे **अनुबंध –II** में दिए गए हैं।

* * * * *

अनुबंध –I

दिनांक 21.07.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 732 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत स्थापित इकाइयों सहित एमएसएमई पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा संचालित अध्ययन किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i. पीएमईजीपी स्कीम के 88% लाभार्थियों ने सूचित किया कि कोविड-19 के कारण वे नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए जबकि शेष 12% ने बताया कि वे कोविड-19 के दौरान लाभान्वित हुए।

ii. प्रभावित 88% में से, 57% ने बताया कि इस अवधि के दौरान उनकी इकाइयां कुछ समय के लिए बंद हो गई थी, जबकि 30% ने उत्पादन और राजस्व में कमी को सूचित किया गया।

iii. लाभान्वित 12% में से, 65% ने बताया कि उनके व्यवसाय में वृद्धि हुई क्योंकि उनकी इकाइयां स्वास्थ्य और खुदरा क्षेत्र में थीं और लगभग 25% ने बताया कि उनकी इकाइयां लाभान्वित हुई क्योंकि वे आवश्यक वस्तुओं अथवा सेवाओं से जुड़े थे।

iv. कर्मचारियों के वेतन के नियमित भुगतान के प्रश्न पर, लगभग 46.60% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने पूर्ण वेतन का भुगतान किया था और 42.54% ने आंशिक भुगतान किए जाने के बारे में बताया और 10.86% ने इस अवधि के दौरान कुछ समय के लिए वेतन भुगतान न किए जाने के बारे में बताया।

अनुबंध- II

दिनांक 21.07.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 732 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने देश में ग्रामीण परंपरागत उद्योगों को संवर्धित, विकसित और सुदृढ़ीकृत करने और रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित पहलें की है:

i) देश के किसानों, आदिवासियों और बेरोजगार युवाओं की आय को बढ़ाने के लिए केवीआईसी ने वर्ष 2017-18 के दौरान हनी मिशन का शुभारंभ किया है।
हनी मिशन के अंतर्गत, प्रत्येक व्यक्ति को जीवित मधुमक्खी छत्तों के साथ 10 मधुमक्खी बक्से प्रदान किए गए हैं।

ii) कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, केवीआईसी कौशल उन्नयन प्रशिक्षण और अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों के उत्पादन हेतु नए होम स्केल ऊर्जा दक्ष उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील, ब्लंगर,पग मिल, भट्टा आदि प्रदान करके ग्रामीण पॉटरी कारीगरों की आजीविका को सुधार रहा है।

iii) वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता और कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, केवीआईसी ने सभी केवीआई उत्पादों को ऑनलाइन बेचना शुरू किया है। केवीआई उत्पाद www.ekhadiindia.com और www.khadiindia.gov.in के माध्यम से प्रत्येक भारतीय के दरवाजे तक उपलब्ध है।

iv) रोजगार अवसरों के सृजन के लिए केवीआई स्कीमों का प्रचार करने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर जागरूकता कैंप, कार्यशालाएं, बैंकर्स बैठकें, और प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं।

v) "खादी प्राकृतिक पेंट" का शुभारंभ किया गया और केवीआइसी ने पेंट का विनिर्माण शुरू कर दिया है। पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति खादी प्राकृतिक पेंट इकाई स्थापित कर सकता है।